

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 11/09/19

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 05 अदद आहर/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रूपये 36.039 लाख (रूपये छत्तीस लाख तीन हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-04/2017-18, दिनांक -21.04.2017; Online AA- 448, Dated- 02.05.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 20—पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05—निर्माण/ 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200101200545	36.039

आवंटित राशि – रु. छत्तीस लाख तीन हजार नौ सौ मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 12600.00 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अग्रप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 11.9.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 105

रॉची, दिनांक :-

11/09/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/रामगढ़/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 11.9.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 105

रॉची, दिनांक :-

11/09/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अग्रियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Q
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अरुण कुमार सिंह) 11.9.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 105

दिनांक 11/09/19

का अनुलालन

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
बजट उपबंध (2019-20) - 12600.00 लाख
विपत्र कोड- 470200101200545

क्र. क्र.	लघु सिंचाई प्रमांडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिरता			एकरारित राशि	मार्च 2019 तक लाय	वर्ष 2019-20 में पूर्त का आवंटन	योजना पर वर्तमान आवंटन	कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	(राशि लाख में)	Online Allotment Access No.	अनुकूलता	
					राशि	प्रसंग	Online प्रसंग									
1					5	6	8	10	11	12	13	14	15	16		
1					गाडके नद्यम सिंचाई योजना का जीणों 114.048			109.750	76.451	20.00	13.299	33.299	109.750			
2	लोहसंप्रयोग रामानुज (RGHMIR012)	रामानुज	गोला	तिरला नद्यम सिंचाई योजना का जीणों 103.599		93.808	44.28	40.00	1.500	41.500	85.780			55668		
3				लोहसंप्रयोग योजना का जीणों 104.681	dt 21.04.2017	95.365	77.666	15.00	2.500	17.500	95.166					
4	हजारीबाग	डरी	योजना का जीणों 169.052	सेवर्यगढ़ नद्यम सिंचाई योजना का जीणों 169.052	dt 21.04.2017	448	151.990	121.83	20.00	2.000	22.000	143.830				
				योग :- 491.380		450.913	320.227	95.000	19.299	114.299	434.526					
5	लोहसंप्रयोग हजारीबाग (HZBMMR001)	हजारीबाग	कटकमदाग	ओदरना नद्यम सिंचाई योजना का जीणों 17.712		16.740	0.000	0.000	16.740	16.740	16.740	55669				
				योग :- 17.712		16.740	0.000	0.000	16.740	16.740	16.740					
				सकल योग :- 509.092		467.653	320.227	95.000	36.039	131.039	451.266					

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आम.)

(संत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अल्ला कुमार शिंह)
अपर मुख्य सचिव 11-9-19